



राजस्थान में महिला सशक्तिकरण में महात्मा गांधी नरेगा की भूमिका

श्योजी लाल बैरवा

(शोधार्थी) एवं सह आचार्य (अर्थशास्त्र)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टॉक (राजस्थान)

प्रो. (डॉ.) सुलोचना मीना

शोध निर्देशक एवं

प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, टॉक (राजस्थान)

सारांश:

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)” ने राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। यह शोध पत्र राजस्थान के संदर्भ में मनरेगा के माध्यम से “महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण” का गहन विशेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से पता चलता है कि मनरेगा के विशेष प्रावधानों—जैसे 33% आरक्षण, समान मजदूरी और महिला-अनुकूल कार्यस्थल सुविधाओं—ने राज्य में महिला भागीदारी दर 66.07% से बढ़कर 68.17% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत (57.43%) से लगभग 11 प्रतिशत अंक अधिक है। यह प्रगति मुख्य रूप से “राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई” महिला-अनुकूल नीतियों जैसे कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं की उपलब्धता, महिला मेट की नियुक्ति और समय पर मजदूरी भुगतान का परिणाम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में नरेगा योजना के तहत महिलाओं ने औसतन 33.48 से 38.92 कार्य दिवस पूरे किए। उनका प्रतिदिन औसत वेतन ₹ 223.94 से ₹ 237.93 तक था। “100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की कुल संख्या 18,439 से 71,268 के बीच थी। इस योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान किया है, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और “राजनीतिक भागीदारी” को भी मजबूती दी है। अध्ययन में पाया गया कि 68% महिलाओं ने आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि का अनुभव किया”, जबकि 47% ने “सामाजिक भागीदारी” में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी। हालाँकि, कार्यस्थल पर सुरक्षा, भ्रष्टाचार और सुविधाओं के अभाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। शोध के निष्कर्ष मनरेगा की प्रभावशीलता को बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए

नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करते हैं। यह अध्ययन नीति निर्माताओं, शोधार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना देता है।

शब्दकोश: महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, राजस्थान, आर्थिक स्वावलंबन, लैंगिक समानता

प्रस्तावना

“महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना।” भारत में, विशेषकर गावों में, महिलाएँ अक्सर आर्थिक निर्भरता और सामाजिक बंधनों से जूझती हैं। मनरेगा (2005) ने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसमें “महिलाओं को समान मजदूरी, रोजगार की गारंटी और सामूहिक भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है।” राजस्थान में मनरेगा से स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

परिचय

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)”, जिसे मूल रूप से “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम” (नरेगा) के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित एक “क्रांतिकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है।” यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ में देश के 200 चयनित जिलों में लागू किया गया था, जिसे बाद में 2007-08 (द्वितीय चरण) में 330 जिलों तक विस्तारित कर 1 अप्रैल 2008 (तीसरे चरण) से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। “2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की 140वीं जयंती के अवसर पर इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। यह योजना भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक “परिवार के वयस्क सदस्यों” को प्रतिवर्ष 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करती है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह पहली बार ग्रामीण भारत को कानूनी तौर पर रोजगार का अधिकार प्रदान करता है”, जिसमें मुख्य रूप से अकुशल शारीरिक श्रम आधारित कार्यों को शामिल किया गया है। राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश में यह योजना ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक प्रभावी माध्यम साबित हुई है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)” के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का गहन विशेषण करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन निम्नलिखित पहलुओं पर केन्द्रित है:

- आर्थिक स्वावलंबन:** मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त “रोजगार के अवसरों” तथा “उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव” का मूल्यांकन करना।
- सामाजिक प्रतिष्ठा:** “ग्रामीण समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी” तथा उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना।

- **राजनीतिक सहभागिता:** स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायती राज) में स्त्रियों की बढ़ती भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति:

इस शोध में विभिन्न तरह के द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित स्रोतों से संकलित किया गया:

- **सरकारी आंकड़े:** “ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार” तथा “राजस्थान सरकार” के आधिकारिक आंकड़े एवं रिपोर्ट्स।
- **शोध प्रबंध:** विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित मनरेगा संबंधी अध्ययन।
- **पत्र-पत्रिकाएं:** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित शोध लेख।
- **डेटा विश्लेषण:** संकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत तथा तुलनात्मक तालिकाओं किया गया है।

अध्ययन की उपयोगिता:

यह शोध राजस्थान के गावों में मनरेगा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति को समझने में सहायक होगा। साथ ही, यह नीति निर्माताओं को योजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

साहित्य समीक्षा:

महिला सशक्तिकरण और राजनीति से संबंधित शोध पत्रों की समीक्षा से पता चलता है कि इस क्षेत्र में विभिन्न आयामों पर कार्य किया गया है। “मनोज यादव (2018) के अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि महिलाएँ पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं में सक्षम हैं, लेकिन लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बाधाएँ अभी भी उनकी प्रगति में बाधक हैं। इसी तरह, अभिजीत कुमार (2020) ने अपने अध्ययन में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढिवादिता प्रमुख बाधाएँ हैं। उन्होंने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, पूनम लखेड़ा और डॉ. विकास सागर (2013) ने अपने अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और विकास के लिए शिक्षा तथा आर्थिक स्वावलंबन को आवश्यक बताया। उन्होंने सरकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया। अर्जुन सिंह और डॉ. उषा वैद्य (2025) के शोध में मनरेगा योजना के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। हालाँकि, शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण वे योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं। इन सभी अध्ययनों से स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी तीन प्रमुख स्तंभ हैं। साथ ही, सामाजिक रूढिवादिता और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों

को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। भविष्य के शोध में इन बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए। प्रकाश चंद यादव (2025) के अध्ययन में मनरेगा योजना के राजस्थान के ग्रामीण समाज पर सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध का उद्देश्य योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, जातिगत भेदभाव में कमी, और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को समझना था। शोध पद्धति के रूप में गुणात्मक विश्लेषण और प्राथमिक डेटा संग्रह (ग्रामीणों के साक्षात्कार) का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया है, साथ ही जल संरक्षण जैसे सामुदायिक कार्यों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। रितु शर्मा (2023) के शोध में घरेलू हिंसा के कारणों और उसके निवारण के उपायों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का उद्देश्य भारत में घरेलू हिंसा के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों और कानूनी प्रावधानों की प्रभावकारिता को जांचना था। मिश्रित पद्धति (मात्रात्मक सर्वेक्षण और गुणात्मक केस स्टडी) का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि 70% पीड़ित महिलाएं शिक्षा और आर्थिक निर्भरता की कमी के कारण हिंसा सहन करती हैं। साथ ही, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में अङ्गचर्ण (जैसे पुलिस की उदासीनता) भी उजागर हुई। अक्षरा और सरोज यादव (2024) के अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और रोजगार की भूमिका को रेखांकित किया गया। शोध का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी के अंतर को समझना था। द्वितीयक डेटा (NFHS और NSSO) के विश्लेषण से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 45% महिलाएं शिक्षित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 65% है। आर्थिक स्वावलंबन के लिए सखी योजना जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। साहित्य संहिता (2020) में महात्मा गांधी के लैंगिक समानता संबंधी विचारों का विश्लेषण किया गया। गांधी जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा, विरोधी दहेज और सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की।“ इस शोध में ऐतिहासिक विश्लेषण पद्धति का उपयोग करते हुए बताया गया कि गांधीवादी विचारधारा ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया (साहित्य संहिता, 2020)।

मनरेगा और महिला सशक्तिकरण: एक संक्षिप्त विवरण

“मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार” प्रदान करना है। इस योजना में “महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित” करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे:

- स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण
- काम के स्थान पर महिला-अनुकूल सुविधाएँ (जैसे क्रेच, पेयजल, शौचालय)
- समान मजदूरी का प्रावधान

राजस्थान एवं प्रमुख राज्यों में मनरेगा महिला भागीदारी विश्लेषण (2018-19 से 2022-23)

लोकसभा में प्रस्तुत आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)” के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में गावों वाले क्षेत्रों की स्त्री श्रमिकों की हिस्सेदारी दर 57.39% तक पहुँच गई है, जो पिछले दस वर्षों का सर्वोच्च स्तर है। यह प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 51.30% था, जो दर्शाता है कि पिछले एक दशक में योजना में महिलाओं की सहभागिता में लगभग 5.32 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका 1: वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत तुलनात्मक उपलब्धि

तालिका: वार्षिक प्रदर्शन तुलना

संकेतक/वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	5 वर्षीय परिवर्तन
महिला भागीदारी दर (%)	54.59	54.78	53.19	54.75	57.39	+2.80
कुल व्यक्ति-दिवस (करोड़)	267.96	265.35	389.09	363.25	294.02	+26.06
प्रति परिवार दिवस	50.88	48.40	51.52	50.07	47.84	-3.04
बजट आवंटन (करोड़ ₹)	61,830	71,688	1,11,171	98,468	88,263	+42.7%


तालिका 2: महिला भागीदारी विशेष विश्लेषण (2018-19 से 2022-23)

वर्ष	महिला भागीदारी (%)	वार्षिक परिवर्तन	प्रमुख घटनाएँ
2018-19	54.59	-	आधारभूत वर्ष
2019-20	54.78	+0.19	मामूली वृद्धि
2020-21	53.19	-1.59	कोविड प्रभाव
2021-22	54.75	+1.56	पुनर्प्राप्ति
2022-23	57.39	+2.64	रिकॉर्ड उच्च स्तर

स्रोत: “ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार”

मनरेगा में महिला भागीदारी ने 2018-19 (54.59%) से 2022-23 (57.39%) तक स्थिर वृद्धि दर्शाई, जिसमें 2020-21 में कोविड के कारण अस्थायी गिरावट (53.19%) देखी गई। 2022-23 में 2.64% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो महिला-केंद्रित नीतियों की सफलता को दर्शाता है। बजट आवंटन में 42.7% वृद्धि ने इस प्रगति को समर्थन दिया।

आरेख-1 वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण और सक्रिय श्रमिकों में महिलाओं के प्रतिशत का वितरण



स्रोत: "ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार" (2022-23)

तालिका 3: वार्षिक प्रदर्शन तुलना

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	5 वर्षीय वृद्धि	राष्ट्रीय औसत से अंतर (2022-23)	प्रवृत्ति
राजस्थान	66.07	67.33	65.68	66.68	68.17	+2.10	+10.74	स्थिर वृद्धि
केरल	90.41	89.80	90.49	89.61	89.82	-0.59	+32.39	स्थिर
तमिलनाडु	85.40	86.30	85.37	85.70	86.41	+1.01	+28.98	स्थिर
गोवा	70.67	75.59	76.55	78.40	78.40	+7.73	+20.97	तीव्र वृद्धि
आंध्र प्रदेश	59.90	60.07	57.26	57.82	60.51	+0.61	+3.08	उत्तर- चढ़ाव
राष्ट्रीय औसत	54.60	54.79	53.20	54.82	57.43	+2.83	-	धीमी वृद्धि
उत्तर प्रदेश	35.28	34.28	33.57	37.25	37.75	+2.47	-19.68	मंद वृद्धि
मध्य प्रदेश	36.54	38.12	40.50	41.05	41.77	+5.23	-15.66	सुधार

तालिका 4: राजस्थान के आँकड़ों प्रमुख विश्लेषणात्मक बिंदु

पैरामीटर	राजस्थान	राष्ट्रीय औसत	अग्रणी राज्य	पिछ़े राज्य
2022-23 भागीदारी	68.17%	57.43%	केरल (89.82%)	जम्मू-कश्मीर (30.67%)
5 वर्षीय वृद्धि	+2.10%	+2.83%	गोवा (+7.73%)	लक्ष्मीप (-10.58%)
राजस्थान से अंतर	-	+10.74%	केरल (+21.65%)	उप्र (-30.42%)
प्रमुख कारक	महिला मेट नियुक्ति, क्रेच सुविधा	-	केरल: उच्च साक्षरता	उप: पारंपरिक मानदंड

(स्रोत: एनआरईजीए सॉफ्ट के अनुसार)

*लक्ष्मीप में 2018-19 (37.25%) से 2022-23 (26.67%) तक गिरावट

तालिका (3 और 4) के अनुसार पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2022-23) के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि “मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी” के मामले में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य में महिला हिस्सेदारी दर 66.07% से बढ़कर 68.17% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत (57.43%) से लगभग 11 प्रतिशत अंक अधिक है। यह प्रगति मुख्य रूप से “राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई” महिला-अनुकूल नीतियों जैसे कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं की उपलब्धता, महिला मेट की नियुक्ति और समय पर मजदूरी भुगतान का परिणाम है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो दक्षिणी राज्यों विशेषकर केरल (89.82%) और तमिलनाडु (86.41%) ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन राज्यों में उच्च साक्षरता दर, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय हिस्सेदारी इस सफलता के प्रमुख कारक रहे हैं। गोवा जैसे छोटे राज्य ने सबसे अधिक वृद्धि (+7.73%) दर्ज की है, जबकि उत्तर प्रदेश (37.75%) और मध्य प्रदेश (41.77%) जैसे बड़े राज्य अभी भी पिछ़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 54.60% से 57.43% तक की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी मनरेगा के 33% लक्ष्य से काफी नीचे है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढाँचे की कमी और उत्तरी राज्यों में पारंपरिक सामाजिक मानदंड प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर (30.67%) और लक्ष्मीप (26.67%) का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन राज्यों ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है, वहाँ मनरेगा के तहत महिला भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राजस्थान को अब अपने प्रयासों को और तेज करते हुए 70%+ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। साथ ही, कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय औसत को और बेहतर बनाया जा सके।

राजस्थान में मनरेगा और महिला सशक्तिकरण

राजस्थान एक पारंपरिक समाज होने की वजह “महिलाओं की आर्थिक भागीदारी” सीमित रही है। मनरेगा ने इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तालिका 5: राजस्थान में मनरेगा के तहत महिला भागीदारी (2022-23)

पैरामीटर	आँकड़ा
1. कुल श्रमिकों में स्त्रियों का %	53%
2. स्त्रियों को प्रदत्त मजदूरी (करोड़ ₹ में)	1,250
3. महिलाओं के लिए बनाए गए कार्यदिवस	8.2 करोड़
4. महिला-प्रधान परिवारों को लाभ	42%

(स्रोत: मनरेगा राजस्थान आधिकारिक रिपोर्ट, 2023)

तालिका (5) के अनुसार, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में मनरेगा के तहत महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कुल श्रमिकों में 53% महिलाएँ थीं, जिन्हें 1,250 करोड़ रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 8.2 करोड़ कार्यदिवस सृजित किए गए, जबकि 42% महिला-प्रधान परिवारों को इसका लाभ मिला। ये आँकड़े राजस्थान में “महिला सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका” को दर्शाते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

- मनरेगा के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खातों में मजदूरी मिलती है, जिससे उनकी वित्तीय साक्षरता बढ़ी है।
- आय के स्रोत होने से परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

सामाजिक सशक्तिकरण

- सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं की उपस्थिति ने पुरुष-प्रधान समाज की मानसिकता को चुनौती दी है।
- महिला अब गावों की सभाओं में अपनी आवाज उठा रही हैं और सामुदायिक निर्णयों में भाग ले रही हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण

- मनरेगा से जुड़ी महिलाएँ अब पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
- कई महिलाओं ने सरपंच और वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा है।

तालिका 6: मनरेगा के प्रभाव से महिला में परिवर्तन (राजस्थान, 2023)

परिवर्तन का क्षेत्र	प्रभाव (%)
आर्थिक स्वावलंबन	68%

परिवार में निर्णय लेने की क्षमता	55%
सामाजिक भागीदारी में वृद्धि	47%
शिक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता	40%

(स्रोत: NITI आयोग रिपोर्ट, 2023)

तालिका (6) के अनुसार, मनरेगा ने राजस्थान की महिला के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। 68% महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन की प्राप्ति की, जबकि 55% ने परिवारिक निर्णयों में हिस्सेदारी बढ़ाई। “47% महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि” हुई तथा 40% ने शिक्षा व स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार दर्ज किया। यह आँकड़े योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

तालिका 7: राजस्थान के चयनित जिलों में मनरेगा का प्रभाव

जिला	महिला हिस्सेदारी (%)	औसत मजदूरी (₹/दिन)	महिला के लिए आरक्षित सीटें	निर्वाचित महिलाओं की संख्या
बांसवाड़ा	61.62%	215.27	109	111
टॉक	76.56%	231	78	78
उदयपुर	73.09%	231	166	166
सिरोही	83.63%	266	49	49
झालावाड़	62.45%	215.18	84	86

(स्रोत: राज्य चुनाव आयोग, “राजस्थान, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग”, 2023)

तालिका 7 में राजस्थान के पांच चयनित जिलों — बांसवाड़ा, टॉक, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़ — में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभाव को दर्शाया गया है। इसमें चार संकेतकों पर ध्यान दिया गया है: महिला हिस्सेदारी, औसत दैनिक मजदूरी, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, और निर्वाचित महिलाओं की संख्या।

बांसवाड़ा जिले में महिला हिस्सेदारी 61.62% है, जहां औसत मजदूरी ₹215.27 प्रतिदिन मिलती है, 109 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 111 महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं, जो उनके सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को दिखाता है। टॉक में सबसे अधिक महिला हिस्सेदारी 76.56% दर्ज की गई, और ₹231 औसत मजदूरी दी गई, जिसमें 78 सीटें आरक्षित थीं और सभी 78 महिलाओं ने चुनाव जीता, जिससे महिला सशक्तिकरण की झलक मिलती है। उदयपुर जिले में 73.09% महिला हिस्सेदारी के साथ, औसत मजदूरी भी ₹231 रही, 166 आरक्षित सीटें और उतनी ही निर्वाचित महिलाएँ रही, जो उनकी सहभागिता की सफलता को रेखांकित करती है। सिरोही जिले में महिला हिस्सेदारी सर्वाधिक 83.63% रही, ₹266 की औसत मजदूरी दी गई, 49 सीटें आरक्षित रहीं और 49 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, जो सबसे अच्छी मजदूरी और उच्च महिला भागीदारी का उदाहरण है। झालावाड़ में 62.45% महिला हिस्सेदारी, ₹215.18 औसत मजदूरी, 84 आरक्षित सीटें और 86 निर्वाचित महिलाएँ दर्ज हुईं, जो बताता है कि आरक्षित सीटों से भी अधिक महिलाओं का निर्वाचन संभव हुआ।

कुल मिलाकर, यह तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है कि मनरेगा ने इन जिलों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया, उनकी मजदूरी बढ़ाने में योगदान दिया, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर भी बढ़ाए।

विस्तृत आँकड़ों का विवेषण

वित्तीय समावेशन

1. 92% महिला श्रमिकों के पास अब जन धन खाते हैं (2014 में केवल 38%)
2. 67% महिलाओं ने बैंकिंग लेनदेन में आत्मनिर्भरता हासिल की

स्वास्थ्य संकेतक

1. मातृ मृत्यु दर में 18% की कमी (मनरेगा क्षेत्रों में)
2. 54% महिलाओं ने बेहतर पोषण की सूचना दी
3. प्रसव पूर्व देखभाल में 29% वृद्धि

तालिका 8: मनरेगा पूर्व और पश्चात के सामाजिक संकेतक

संकेतक	मनरेगा पूर्व (2005)	वर्तमान स्थिति (2023)	परिवर्तन
महिला साक्षरता	52.1%	68.7%	+16.6%
बाल विवाह दर	35.4%	23.8%	-11.6%
महिला श्रम भागीदारी	32%	48%	+16%
घरेलू हिंसा के मामले	42%	29%	-13%

(स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2021)

तालिका (8) के आँकड़े मनरेगा योजना के सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। 2005 से 2023 के बीच राजस्थान में महिला साक्षरता दर में 16.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि बाल विवाह दर में 11.6% की कमी आई। महिला श्रम में 16% की वृद्धि और घरेलू हिंसा के मामलों में 13% की गिरावट से स्पष्ट है कि “मनरेगा ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण” में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सकारात्मक बदलाव योजना के दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव को दर्शाते हैं।

मनरेगा और महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

1. सकारात्मक प्रभाव

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करके महिलाएँ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम हुई हैं। उनकी आय ने परिवार के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है, चाहे वह ऋण चुकाना हो,

बच्चों की शिक्षा हो, या स्वास्थ्य और पोषण संबंधी व्यवस्था। इसके अलावा, मनरेगा ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया है, जिससे वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक मुद्दों में रुचि लेने लगी हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मनिर्भरता ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया है।“

2. मौजूदा चुनौतियाँ

हालाँकि मनरेगा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** पारंपरिक मानसिकता और लैंगिक भेदभाव अभी भी महिलाओं की प्रगति में बाधक हैं।
- भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण:** मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रोजगार वितरण ने योजना के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर किया है।
- कार्यस्थल पर असुरक्षा:** महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटनाएँ उनकी सुरक्षा को खतरे में डालती हैं।
- अपर्याप्त सुविधाएँ:** यद्यपि नियमानुसार कार्यस्थलों पर पालनाघर (क्रेच) की व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु व्यवहार में महिलाओं को अपने छोटे बच्चों की देखभाल स्वयं करनी पड़ती है।
- स्वास्थ्य जाँच का अभाव:** मनरेगा श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनके कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मनरेगा को सशक्त बनाने की दिशा में सुझाव एवं भविष्य की रणनीति

मनरेगा में सुधार के प्रमुख बिंदु

- भ्रष्टाचार निवारण:** नियमित ऑडिटिंग व्यवस्था लागू करना और एनजीओ/सिविल सोसाइटी की निगरानी में कार्यशालाओं का आयोजन
- महिला-अनुकूल सुविधाएँ:**
 - पालनाघर (क्रेच) की व्यवस्था को ढंग से लागू करना
 - कार्यस्थल पर नियमित स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था
 - महिला मेट की अधिक नियुक्तियाँ कर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना
- वित्तीय सशक्तिकरण:**
 - संयुक्त खाते के स्थान पर महिलाओं के एकल बैंक खाते
 - मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना
 - न्यूनतम मजदूरी से अधिक भुगतान की व्यवस्था

संस्थागत सुधारों की आवश्यकता

- प्रशासनिक सरलीकरण: योजना से जुड़ी अनावश्यक औपचारिकताओं में कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना: पक्षपातपूर्ण रोजगार वितरण पर नियंत्रण
- आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण: बाल देखभाल सुविधाओं का विस्तार

समन्वित विकास दृष्टिकोण

- स्वरोजगार से जोड़ने की रणनीति: "कौशल विकास कार्यक्रम" से स्त्रियों को न्यूनतम मजदूरी से बेहतर आय के अवसर
- बहु-स्तरीय सहयोग:
 - परिवार स्तर पर: पुरुष सदस्यों द्वारा सहयोग एवं सम्मान
 - सामाजिक स्तर पर: लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता
 - सरकारी स्तर पर: अन्य योजनाओं के साथ समन्वय

दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य

- सामाजिक मानसिकता परिवर्तन: पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव की आवश्यकता
- सुरक्षित वातावरण निर्माण: घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान
- समग्र विकास दृष्टिकोण: राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिला-पुरुष समान सहभागिता आवश्यक

सामाजिक प्रभाव का गहन विश्लेषण

सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन

- 73% स्त्रियों ने "सम्मान में वृद्धि" की सूचना दी
- 68% पुरुषों ने स्त्रियों की आय को परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना
- 54% परिवारों में लड़कियों की शिक्षा पर खर्च बढ़ा

संस्थागत परिवर्तन

- 4200+ महिला मनरेगा मित्र तैनात
- 89 ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान
- 12 जिलों में महिला संघों का गठन

निष्कर्ष एवं सुझाव

मनरेगा ने राजस्थान की "महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में" महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में "मनरेगा ने महिला सशक्तिकरण" के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान किया है।

इस प्रकार, मनरेगा "महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है", बशर्ते इसके क्रियान्वयन में सुधार किया जाए। इन सफलताओं को और व्यापक बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और तकनीकी एकीकरण आवश्यक है। मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करके

उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालाँकि, योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिकार पर नियंत्रण, कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला-अनुकूल सुविधाओं को लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलने चाहिए। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो "मनरेगा महिला सशक्तिकरण" का एक और प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। "मनरेगा को एक प्रभावी महिला सशक्तिकरण उपकरण" बनाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर योजना के तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देना होगा, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति देनी होगी। केवल तभी हम "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" के भारतीय आदर्श को साकार कर पाएँगे।

हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:

- ✓ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- ✓ कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।
- ✓ जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए।

संदर्भ:

1. मनरेगा राजस्थान आधिकारिक वेबसाइट (2023)
2. NITI आयोग, "महिला सशक्तिकरण और मनरेगा" (2023)
3. भारत सरकार, "ग्रामीण विकास मंत्रालय" रिपोर्ट (2022)
4. राजस्थान सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण (2023)
5. "ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार" (2023). *महात्मा गांधी नरेगा: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
6. नीति आयोग (2023). राजस्थान में ग्रामीण विकास: संभावनाएं एवं चुनौतियां.
7. "राजस्थान सरकार" (2022). राजस्थान में मनरेगा का क्रियान्वयन: एक समीक्षा
8. शर्मा, आर. (2022). मनरेगा और महिला सशक्तिकरण: कुछ उभरते सवाल। रिसर्च हब इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, 9(1), 28-31.
9. जोशी, खि., & शर्मा, डी. (2022). ग्राम पंचायत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और उत्तराखण्ड राज्य की पंचायत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विशेष संदर्भ में. जर्नल एनएक्स, *8*(1), 159-165.
10. शुक्ला, अ., और सौंधिया, आ. (2019). "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)" का प्रभाव एवं मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यू एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 7(2), 525-530.

11. कुमार, अ. (2020). महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ: एक समीक्षा. जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन्स एंड स्ट्रैटेजीज, 4(1), 48-54.
12. लखेड़ा, प., और सागर, वि. (2013). महिला सशक्तिकरण: स्थिति और दिशा. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूज एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 1(2), 57-59.
13. सिंह, अ., और वैद्य, ठ. (2025). “मनरेगा का सामाजिक प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन”. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन्स इन साइंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 4(1), 302-310.
14. यादव, म. (2018). महिला सशक्तिकरण पर लेख. साहित्य संहिता, 4(8), 1-2.
15. यादव, पी. सी. (2025). मनरेगा योजना का राजस्थान में सामाजिक वातावरण पर प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स, 2(1), 52-68.
16. शर्मा, आर. (2023). घरेलू हिंसा: “समाज में महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकारों की भूमिका”. आइडियालिस्टिक जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, 2(10), 54-62.
17. अक्षरा, एवं यादव, एस. (2024). भारत में महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. नवीन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेज, 1(2), 15-19.
18. साहित्य संहिता. (2020). महात्मा गांधी और महिला अधिकार. साहित्य संहिता, 6(8), 1-4.

